



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर।

फोन/फैक्स न0- 05963-221761

E-Mail I.D-eepmgsybageshwar@rediffmail.com

पत्रांक:- 745 /

दिनांक 4/11/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, बागेश्वर,
बागेश्वर।

विषय:- गरुड़-बिनखोली से कोठों मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या- 10272/2015)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि गरुड़-बिनखोली से कोठों मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव पर आपके द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के आधार पर इस कार्यालय से निम्नानुसार आपत्तियों का निराकरण कर सूचना प्रेषित की जा रही है।

1	In reply to point no-3 of this office EDS, the authority letter in favour of shri Rajendra Prasad, which is attached with the reply, is required to be uploaded at para-A-3(xvii) of online Part-I by replacing the existing authority letter.	Authority letter has been uploaded at para-A-3(xvii) of online Part-I by replacing the existing authority letter.
2	In reply to point No.-4 of this office EDS, the revised copy of Sol toposheet, which is attached with the reply, is required to be uploaded at para-C(iii) of online Part-I by replacing the existing location map on Sol toposheet	The revised copy of Sol-toposheet has been uploaded at Para-C(iii) online Part-I by replacing the existing location map on Sol toposheet
3	The amended justification attached with the reply in response to point No.-5 of the EDS is still not proper as this is justification for construction of this road and not the justification for locating the road in the forest area.	Justification for locating the road in forest area has been amended and uploaded.

4	The reply to point No.-6 of the EDS is not understood as the same is not found to be correct grammatically as well as from technical point of view.	Project lies in Eco Class-V with forest density of 0.2% and the NPV rates of 6.57 lac/hac. The NPV calculation is done accordingly.
5	Reply to point No.-7 to 10 of this office EDS has not been furnished.	Point no 7 to 10, of this EDS belong to the DFO office. And as directed by DFO office, the part which does not belong to the user agency is to be left blank.

भवदीय



अधिशालसी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वार्ड0 सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।

परियोजना का नाम:— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गरुड़-बिनखोली मोटर मार्ग से कोठों मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वनभूमि की माँग की सन्दर्भित आख्या

विकास खण्ड गरुड़ तहसील गरुड़ जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गरुड़-बिनखोली मोटर मार्ग से कोठों मोटर मार्ग स्वीकृत है। उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 2.60 किमी० है। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग में कुल 2.340 हे० भूमि है। जिसमें सिविल सोयम 0.540 हे० व वन पंचायत 0.00 हे० है तथा नाप भूमि 1.800 हे० है। चूँकि उत्तराखण्ड की लगभग 71 प्रतिशत क्षेत्रफल वन से आच्छादित है। अतः बिना वनभूमि प्रभावित हुए मोटर मार्ग का निर्माण सम्भव नहीं हो पायेगा। इस मोटर मार्ग निर्माण से बिनखोली, कोठों आबादी 634 लाभान्वित होंगे। यह कार्य जनहित में प्रस्तावित है। उक्त मार्ग हेतु अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः अन्य वैकल्पिक भूमि न होने, प्रस्तावित समरेखन में वनभूमि कम होने, वृक्षों की संख्या कम होने, अधिकतम जनसंख्या एवं बसावट लाभान्वित होने, उचित ग्रेडियन्ट प्राप्त होने, न्यूनतम लम्बाई होने, हेयरपिन बैण्ड न्यूनतम होने एवं भूगर्भीय स्थिति (स्लाईडिंग जोन ना होना) उचित होने के कारण उक्त वनभूमि से मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक है। कोठों ग्राम को जोड़ने के लिए वनभूमि के प्रयोग किये बिना कोई और विकल्प नहीं है अन्यथा कोठों ग्राम मोटर मार्ग से जुड़ने से वंचित रह जायेगा। समरेखन संख्या- 2 में वनभूमि का क्षेत्रफल 2700 वर्गमी० अधिक आ रहा था एवं वनभूमि के न्यूनतम प्रयोग की माँग पर उसे निरस्त कर दिया गया है। सम्बन्धित सभी विभाग- वन विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी, राजस्व विभाग आदि द्वारा मार्ग में वनभूमि के न्यूनतम प्रयोग करने हेतु भरसक प्रयास किये गये हैं।



कनिष्ठ अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।



सहायक अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।




अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गरूड़-बिनखोली मोटर मार्ग से कोठों मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है:-

1. ईको-क्लास श्रेणी- **V**
2. हरियाली का घनत्व- **0.20 प्रतिशत**
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0- **6.57 लाख**
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल- **0.54 हे0**
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि- **3.547 लाख**


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर